अम्बेडकर ग्राम योजना एवं सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 हरिशंकर राम*

भारत में उत्तर प्रदेश के 88 प्रतिशत अनुसूचित जाति (दलित) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन यह सत्य है कि उनके विकास के नाम पर कोई विशेष योजना नहीं चलाई गयी। जबकि हरित क्रांति ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को स्पर्श किया था, परन्तु दलितों को उसका नाम मात्र का भी लाभ नहीं प्राप्त हो सका। वर्ष 1995 में जब सुश्री मायावती प्रथम बार सत्ता में आयीं तो उन्होंने पूर्व स्थापित ग्राम विकास योजनाओं जिसे अम्बेडकर ग्राम योजना का नाम दिया था। जो सम्पूर्ण समाज के लोगों को ऊर्जा देने का कार्य किया। जबकि वर्ष 1995 से आज तक बसपा मायावती तीन बार मुख्यमंत्री पद (सत्ता) में आयीं, लेकिन तीनों कार्यकालों में कुल मिलाकर 22 1/2 माह ही उसने शासन किया। वह भी अल्प मत की संख्या में होकर ही सरकार चलायी। बसपा ने इन सम्पूर्ण कार्यकालों में अपने विकास एजेंडा के अनुसार उन ग्रामों के विकास का कार्यक्रम चलाया जिन का चयन दलित बहुलता के अनुसार किया गया था। प्रारम्भ में ग्राम विकास के लिए चयनित अम्बेडकर ग्रामों में 36 योजनाओं को शुरु करने की सूची बनायी गयी थी। लेकिन कुल मिलाकर मात्र 6 से 7 योजनाओं को प्रारम्भ किया जा सका। जिसमें पेयजल, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय शिक्षा और ग्राम सम्पर्क मार्ग निर्माण आदि उल्लेखनीय है।

पेयजल

राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज को समान रूप से दूषित मुक्त पेयजल की व्यवस्था कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों पर हैण्डपम्प की व्यवस्था तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को मुक्त हैण्डपम्प की व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिया गया है।

बिजली

अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से बिजली की व्यवस्था किया गया है। जिससे किसानों को कृषि सम्बन्धित कार्यों जैसे– सिंचाई की समुचित व्यवस्था, टेलीविजन पर कृषि दर्शन कार्यक्रम, बिजली द्वारा संचालित यन्त्रों की सहायता प्रदान की जा रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास समान रूप से हो सके।

शौचालय

राज्य सरकार द्वारा संचालित अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत अनिवार्य समाज में परिवार के मुखिया को शौचालय निर्माण के लिए धनराशि प्रदान किया जाता था, ताकि लोग खुले स्थानों पर शौच न करें। इससे संक्रमित बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एन.जी.ओ. के माध्याम से अन्तर्राष्ट्र सुलभ शौचालय की व्यवस्था किया गया है। जिसके संस्थापक डॉ. बिन्देश्वर पाठक हैं। इनका उद्देश्य भारत को स्वच्छ रखना है। उन्होंने सेमिनारों में माध्यम से एक कदम स्वच्छता की ओर अग्रसर होने के लिए कार्य कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवा

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत सभी

* प्रवक्ता, समाजशास्त्र, शान्ती शिक्षा निकेतन महिला महाविद्यालय, वाराणसी

ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा मुहैया कराया गयी है। गर्भवती महिलाओं व बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रो द्वारा पोषाहार की समुचित व्यवस्था किया गया है। लगभग अधिकांश गॉवों में स्वास्थ्य उप केन्द्र की व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के समाजों को स्वस्थ रखना है।

स्कूल शिक्षा

समाज का तभी सर्वांगीण विकास हो सकता है, जब लोग शिक्षित होंगे। डॉ. अम्बेडकर ने कहे थे कि असली गरीब वह है जो शिक्षा से वंचित है। इन्हीं के नाम से अम्बेडकर ग्राम योजना का संचालन किया गया जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाय। अनिवार्य रूप से कक्षा 1–8 तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिया जाय।

राज्य व केन्द्र सरकार ने अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को ग्राम सम्पर्क मार्ग निर्माण से नगरी क्षेत्रों के मुख्य मार्ग से जोड़ दिया है। ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग व्यसाय, व्यापार, उद्योग, विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षा का प्रयोग कर सकें। परिणामस्वरूप भारत का सर्वांगीण विकास हो सकेगा और हो भी रहा है।

सामाजिक परिवर्तन

सामाजिक परिवर्तन में पुनः 2003 में 8 वर्षों बाद योजना को प्रारम्भ करने के बाद से दलितों के जीवन में परिवर्तन आया है। आज दलितों को उच्च जातियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले स्कूल, मार्गों, चिकित्सालय और पेयजल स्रोतों को मुहैया कराया जा रहा है। इसी कारण परम्परागत बन्धन भी टूटे हैं। उपरोक्त सभी प्रक्रिया ने दलितों को उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले निरंतर उपहास और अपमान की अमानवीय पीड़ा और प्रताड़ना से मुक्ति दिला दी है, अन्यथा तथाकथित ऊँची जाति के लोग जब भी अकारण नाराज होते थे, तब वे उपरोक्त मूलभूत सार्वजनिक सुविधाएं जल–स्रोत, मार्ग, स्कूल और चिकित्सा सुविधा आदि दलितों के लिए प्रतिबंधित कर दिया करते थे। अम्बेडकर ग्रामों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में चटर्जी, 2003 की टिप्पणी प्रासंगिक एवं उल्लेखनीय होती है :

दिल्ली व लखनऊ के नेता– राजनेता मायावती का उपहास करते नहीं थकते। उनका रटा–रटाया जुमला है– दलित की बेटी मायावती का पाखण्ड, वे यह कहकर खिल्ली उड़ाया करते हैं। अब अम्बेडकर ग्रामों में जाकर देखें जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक दलित हैं जिनमें विशेष विकास योजनाओं का वायदा भी किया गया है। इनमें परिवर्तन का सबसे बड़ा चिन्ह है। लोगों में शिक्षा के प्रति उत्सुकता और जागरुकता। लखनऊ और रायबरेली जिला सीमा पर अब्बास गंज, हसनपुर, कनेरी और चतैनी चार गाँवों का समूह है जिसमें 4 प्राथमिक विद्यालय, 2 माध्यमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। यही कारण है कि दलित माता–पिता भी अपने बालक–बालिकाओं को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने लगे हैं। दलित समुदाय के लिए इससे ज्यादा लाभप्रद क्या हो सकता है?

संरचनात्मक परिवर्तन

सर्वाधिक जनसंख्या तथा जाति के आधार पर सर्वाधिक विभक्त उत्तर प्रदेश राज्य में बसपा ने संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत की है। लेकिन इस सामाजिक परिवर्तन के मानकों को निर्धारित और परिभाषित करना कठिन है। अतः संरचनात्मक परिवर्तन को समझने से पहले आइए हम सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझ ले।

नैडेल के अनुसार– ''हम सामाजिक संरचना जनसंख्या के आकार, उसके आचरण, उनके कार्य प्रणाली के नेटवर्क प्रतिरुप और उससे काम करने वाले और उनकी कार्य क्षमता के तदनुरूप कार्य के

समय में उनका कार्य संपादन के सम्बन्ध के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं।''

सामाजिक संरचना की उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम पूछ सकते हैं कि बसपा के दलित आन्दोलन के क्षितिज पर पदार्पण के पूर्व तथाकथित ऊँची जातियों के लोगों तथा दलितों के पास क्या–क्या अधिकार एवं दायित्व थे? निर्विवाद सत्य है कि तथाकथित उच्च वर्ण के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संचित रूप से प्रभावशाली थे। उनके वर्चस्ववादी प्रभाव ने दलितों में कभी भी असम्मति की आवाज नहीं उठने दी। परन्तु वर्ष 1984 में बसपा की स्थापना के बाद से ही उत्तर प्रदेश में ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संचित रूप से प्रभावशाली थे। उनके वर्चस्ववादी प्रभाव ने दलितों में कभी भी असम्मति की आवाज नहीं उठने दी। परन्तु वर्ष 1984 में बसपा की स्थापना के बाद से ही उत्तर–प्रदेश में ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन धीरे–धीरे प्रदर्शित होने लगे।

आज उत्तर प्रदेश में ऊँची जाति के लोग किसी भी दलित को अनुदाता (बेगार) स्वरुप नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अब वे प्रतिकार पर उतर आते हैं। यहाँ मऊ जिला के उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। यहाँ दलितों ने ठाकुर के जुल्म के खिलाफ अस्त्र उठा लिए थे। जनसत्ता दैनिक 18 अगस्त 2003 लिखता है कि, ''उत्तर प्रदेश में मऊ के तेजोपुर गांव में ठाकुर अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं तो दूसरी तरफ दलित हथियार उठा चुके हैं। मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद दलितों में सत्ता के संस्कार विकसित होकर मुखर होने लगे हैं। ठीक इसी तरह ही लखनऊ के मोहनलाल गंज तहसील के गोपाल खेड़ा गाँव में दलितों ने ठाकुरों के खिलाफ हथियारों का प्रयोग किया जिसमें एक ठाकुर मारा भी गया। मजदूरी बढ़ाने के मामले को लेकर दलितों ने ठाकुर भू–स्वामियों के ऊपर दबाव डाला और उस मामले में उन लोगों ने राज्य पुलिस की मदद भी ली। वर्ष 1995 में बसपा की सरकार बनने के पहले राज्य का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्थापित संरचनागत ढांचे में इस तरह के परिवर्तन के दिन भी कभी देखने को मिलेंगे।

शासन प्रशासन में बदलती हुई भूमिका

ऐसा नहीं कि दलितों की भूमिका केवल मान–मर्यादा बढ़ने के रूप में सामाजिक स्तर पर बढ़ी, बल्कि शासन–प्रशासन में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हुई है। बसपा के सत्ता में आने से आज तक दलित पद–प्रतिष्ठा के उच्च मानकों की परिधि को छूने लगे हैं। वे विधायिका जैसे ख्यातिनामा संस्थाओं के साथ कार्यपालिका, पंचायत, राजतंत्र और पुलिस महकम में प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व वाले पदों पर पहुंच गये हैं। इस कारण आज उत्तर–प्रदेश में स्थापित सामाजिक संरचना और भूमिकाएं उलट गयी हैं। जो दलित कल एक दूसरे के आदेशपूर्ति और सेवा को अपना भाग्य मानते थे, आज वही दलित दूसरों को आदेश देने लगे हैं।

ऐसा नहीं कि बसपा के पूर्व दलित सत्ता की उच्च संस्थाओं में कार्यरत नहीं थे, किन्तु बसपा का सत्ता में आना मात्रात्मक रूप से भिन्न है। क्योंकि बसपा के कारण दलितों को स्वतंत्र पद, कार्यक्रम और नेतृत्व मिला। पहले भी दलितों को ये सब मिला था, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि वे कदम–कदम पर उच्च जातियों के नेतृत्व के अधीन कार्य सम्पन्न करते थे। परन्तु मायावती एक दलित हैं। शासन के प्रमुख होने के कारण प्रदेश के शासन–प्रशासन और पुलिस महकमें में उच्च जातियों के लोग उसके अधीनस्थ कर्य सम्पादन कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार दलित सरकार में मंत्री, शासन में सचिव, जिलों में जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक के पद पर स्वतंत्र रूप से कार्य संपादन कर सके। उनके सवर्ण अधिकारियों ने सामाजिक परिस्थिति में ऊपर होने के पश्चात भी उनके आदेश का पालन किया। निर्धारित भूमिकाओं के उलटने से संरचनात्मक परिवर्तन का आवेग बढ़ा है। आज दलित पुलिस थाना के

बाहर चक्कर नहीं लगाते, बल्कि पुलिस थानों में घूसकर प्रत्यक्ष रुप से अपनी शिकायतें दर्ज करते देखे जाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर दलित जो बसपा के टिकट पर ग्राम प्रधान से लेकर विधायक और सांसद, ग्राम पंचायत, विधानसभा और सांसद पहुंचे हैं और अपने क्षेत्र–प्रक्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे सबके सब, अब अपने चुनाव क्षेत्र के तथाकथित उच्च जातियों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनते।

संदर्भ :

1. डॉ. विवेक कुमार, बहुजन समाज पार्टी, संरचनात्मक परिवर्तन, पृ. 46, 51
2. जनसत्ता, दैनिक, 18 अगस्त, 2003
3. कुमार, विवेक, 2002, दलित लीडरशिप इन इण्डिया, कल्पाज पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. अख्तर, जमील अहमद, 1990, 'आयरन लेडी मायावती', बहुजन संगठन, दिल्ली